



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबासईट- [www.snpv.ac.in](http://www.snpv.ac.in)

क्रमांक. 2-3-2-4-4/अर्थशास्त्र /2021/469

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

## // अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत अर्थशास्त्र अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. ए.के. मेहर, प्राध्यापक, शास.किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़  
2. डॉ. एस.पी. भारद्वाज, सहा.प्राध्यापक, शास. एम.एम.आर महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ. जसमिन्दर सिंह विरदी, सहा.प्राध्यापक, शास. शहीद वीर नारायण महा. जोबी-बर्ग  
जिला-रायगढ़  
2. कु. इमिलियाना लकड़ा, सहा.प्राध्यापक, शास. के.एम.टी. कन्या महाविद्यालय, जिला-रायगढ़
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ. सी.बी. खूटे, सहा.प्राध्यापक, शास. लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय, खरौद जिला- जाँजगीर चाँपा  
2. श्रीमती उमानादिनी जायसवाल, सहा.प्राध्यापक, शास. वेदराम महा. मालखरौदा जिला- जाँजगीर चाँपा

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. ए.के. मेहर, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


  
(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्रं. 2-3-2-4-4/अर्थशास्त्र /2021/470

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

  
26.07.2021  
कुलसचिव (अकादमी)